

प्रेषक,

उच्चल उपाध्याय
सिविल जज(जू०डि०)
मौदहा, हमीरपुर

सेवा में,

माननीय एडमिन A4
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर

महोदय,

अति विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना दिनांक 23-10-2019 व पोर्टल पर वाहन क्रय-विक्रय संबंधी प्रेषित सूचना के संबंध में माननीय महोदय द्वारा स्पष्टीकरण आहूत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आपत्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है। प्रार्थी सेवा में नवागन्तुक है व इस प्रकार का संव्यवहार प्रथम बार कर रहा था। अतः नियमों के पालन में कई स्तर पर त्रुटियां कारित हुई हैं। प्रार्थी इस संबंध में क्षमा प्रार्थी है। क्षमा किए जाने का निवेदन करता है। आहूत स्पष्टीकरण बिन्दुवार निम्नवत हैं-

1- प्रार्थी द्वारा कार मारुति डिजायर UP EX 9715 का आधिपत्य साई कार बाजार के प्रोपराइटर श्री अरुण कुमार द्विवेदी को दिनांक 15-05-2019 को विक्रय हेतुक से अन्तरित किया था। इस संबंध में एक नोटरी प्रपत्र प्रार्थी व उक्त अरुण कुमार द्विवेदी के मध्य निष्पादित हुआ था। साई कार बाजार कारों के क्रय-विक्रय से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान है जो कि कमीशन के आधार पर इस कार्य को करती है। कार के नवीन रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रपत्र जो कि किसी राजीव कुमार द्वारा क्रय की गई थी प्रार्थी को अगस्त 2019 में प्राप्त हुआ उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा इस संबंध में सूचना प्रेषित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्समय सूचना प्रेषित करने के माध्यम में भी बदलाव हो चुका था। इन परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा विलम्ब कारित हुआ। इस विलम्ब का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी का है। प्रार्थी इस संबंध में करबद्ध रूप से क्षमा प्रार्थी है व माननीय उच्च न्यायालय की अनुकंपा का आकांक्षी है।

2- द्वितीय बिन्दु के संबंध में निवेदन करना है कि साई कार बाजार के बारे में प्रार्थी द्वारा सामान्य प्रज्ञा का प्रयोग कर जानकारी प्राप्त की गई थी। साई कार बाजार द्वारा कारों के संबंध में कमीशन के आधार पर क्रय-विक्रय का संव्यवहार काफी समय से किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा स्पष्टीकरण के अनुक्रम में जब साई कार बाजार से पंजीकरण प्रपत्र की मांग की गई तब उक्त प्रतिष्ठान द्वारा जो प्रपत्र प्रार्थी को उपलब्ध कराये गये हैं उन्हें प्रार्थी द्वारा इस स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा जब कार का विक्रय किया जा रहा था तब नियमों की जानकारी हेतु उ०प्र० न्यायिक अधिकारी आवासीय पुस्तकालय 2011 की 47 नम्बर की मा० उच्च न्यायालय की सर्कुलर आर्डर की पुस्तक का अवलोकन किया गया था। निम्न सर्कुलर के आधार पर प्रार्थी द्वारा विक्रय के उपरान्त सूचना भेजना ही आवश्यक समझा गया था।

- 1- C.L. No. 25/ Admn (A) dated 13th July, 1998
- 2- C.L. No. 71 dated 22nd November, 1962
- 3- C.L. 24/ Admn (A) dated 13th June, 1995
- 4- C.L. No. 17 / Admn (A) dated 13th May, 2004
- 5- C.L. No. 35/ IVN- 16/ Admn (A) dated 23-11-2010

महोदय प्रार्थी को नियमों का पूर्णतः ज्ञान नहीं था अतः इस प्रकार की त्रुटि कारित हुई। जिसके संबंध में प्रार्थी क्षमा याचना करता है।

3- तृतीय बिन्दु के संबंध में निवेदन करना है कि न तो साईं कार बाजार प्रतिष्ठान या उसका कोई सदस्य और न ही राजीव कुमार किसी भी प्रकार से प्रार्थी से संबंधित है और न ही उक्त व्यक्तियों के संबंध में कोई मामला मौदहा सिविल जज(जू०डि०) न्यायालय में लंबित है या निस्तारित हुआ है।

4- चतुर्थ बिन्दु इस संबंध में है कि यद्यपि कार का बीमा मूल्य- 5,83,118 रु० है व प्रार्थी द्वारा विक्रय 6,15,000 रु० में किया गया है। इस संबंध में निवेदन करना है कि यदि तृतीय बिन्दु के संबंध में प्रार्थी के कथन को विश्वसनीय समझा जाए तो उस स्थिति में प्रार्थी यह कथन कर सकेगा कि प्रार्थी द्वारा अपनी वित्तीय समस्याओं को देखते हुए कार के विक्रय हेतु क्रेता इसी उद्देश्य से खोजा गया कि कार की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त की जा सके। प्रार्थी द्वारा कार 4 अक्तूबर, 2017 में क्रय की गई थी व 15 मई, 2019 को विक्रय हेतु अन्तरित कर दी गई थी। कार काफी अच्छी स्थिति में थी। अतः प्रार्थी द्वारा जो कार कुल 8,41,000 रु० में क्रय की गई थी उसे प्रार्थी द्वारा 6,15,000 रु० प्राप्त कर विक्रय हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया। यदि इसे प्रार्थी की धृष्टता न समझा जाए तो प्रार्थी कथन करना चाहता है कि सामान्यतः मारुति कारों की रीसेल बैल्यू बाकी कारों की अपेक्षा अधिक है।

करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी के कृत्य में कोई दुराशय नहीं है। प्रार्थी करबद्ध रूप से क्षमा प्रार्थी है व भविष्य में समस्त नियमों का सम्यक रूप से परिपालन करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

दिनांक 17-6-2020

भवदीय

Ujjwal Upadhyay

उज्ज्वल उपाध्याय

सिविल जज(जू०डि०)

मौदहा, हमीरपुर